जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 150 वीं बैठक दिनांक 01.07.2010 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2, 3, 4, एवं 5 वननि (बीपीसी) द्वारा, एजेण्डा संख्या 1, 6, 7, 8 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 9 वननि (मास्टर प्लान) द्वारा प्रस्तुत किया गया, एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 3 वननि (प्रोजेक्ट) द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका संकलित कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच. एस. संचेती, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमती शुचि शर्मा, अति. आयुक्त (प्रशासन) जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री पी. अरविंद, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री एस. मित्रा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री सुभाष चन्द शर्मा, उप नगर नियोजक (एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
3. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक (जोन–4), जविप्रा जयपुर।
4. श्री हीरालाल वर्मा,, उप नगर नियोजक (जोन–6), जविप्रा जयपुर।
5. श्री प्रेम शंकर,, उप नगर नियोजक (बीपीसी–एल.पी.), जविप्रा जयपुर।
6. श्रीमति शशिकला शर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता, जविप्रा जयपुर।
7. श्री नवरतन कोली, तहसीलदार, (जोन–1), जविप्रा, जयपुर।
8. श्री भंवर सिंह, तहसीलदार, (जोन–6), जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरणः–
एजेण्डा संख्याः–1
150/01.07.2010

विषयः– बीपीसी (ले आउट प्लान) 149 वीं बैठक दिनांक के 03.06.10 के कार्यवाही विवरण की पुष्ठि के सबंध में।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2
150/01.07.2010 (जोन–4)

विषयः–दी फोरेस्ट व्यू हा. को. सोसायटी की योजना नन्द विहार ग्राम मनोहरपुरा तहसील सांगानेर के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के दौरान समिति के सदस्यों ने सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत योजना मानचित्र का अवलोकन किया। इस योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र हेतु भूमि आरक्षित की हुई थी इस सुविधा क्षेत्र का सहकारी समिति ने इस भूमि को इस ब्लॉक के भूखण्डों में समायोजित कर संशोधित योजना मानचित्र में संशोधन किए है तथा योजना मानचित्र में प्रस्तावित कुछ भूखण्डों के सदस्यों का नाम सदस्यता सूची में नहीं है उन भूखण्डों के संबंध में कार्यवाही किए जाने के संबंध में सहकारी समिति प्रकोष्ठ से जांच करवाई जावे तथा मौके की स्थिति के अनुसार किन–किन भूखण्डधारियों की भूमि कम या अधिक हुई है का परीक्षण किये जाने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–3
150/01.07.2010 (जोन–4)

विषयः–रेल्वे की भूमि आवासीय/फ्लैटस/भवन निर्माण अनुज्ञा के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि रेलवे के एक्ट का अध्ययन किया जावे तत्पश्चात् जविप्रा एक्ट के अनुसार परीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

एजेण्डा संख्या–4
150/01.07.2010 (जोन–4)

विषयः–श्री अरविन्द कुमार शर्मा भूखण्ड संख्या 34 प्रेम नगर द्वितिय को स्वीकृत दिये जाने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 80'–0" चौडी सडक छोडने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 34 की शेष भूमि 50'+64'X 37'–9" रहती है इसलिए भूखण्ड संख्या 34 को इस साईज के अनुसार स्वीकृत किया जावे।

एजेण्डा संख्या–5

150 / 01.07.2010 (जोन–4)

विषयः–माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना हेतु नगरीय विकास विभाग के निर्देशों के अनुसरण में इन्द्रा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सूर्य नगर के सुविधा में दर्शित भूखण्ड संख्या–69ए (पुराना 69) को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–6

150 / 01.07.2010 (जोन–7)

विषयः– गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना महोदव नगर के भूखण्ड संख्या 144 से 149 का पुर्नगठन करने के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 19.02.10 की अनुपालना में पुर्नगठन हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–7

150 / 01.07.2010 (जोन–7)

विषयः– दी कृष्णा कॉ आपरेटिव सोसायटी के भूखण्ड संख्या 48 योजना के–5 के नियमन के सबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति (एलपी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रार्थी को आगामी बैठक में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिये, प्रार्थी को सूचित किया जाने हेतु उपायुक्त जोन–7 को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या–8

150 / 01.07.2010 (जोन–7)

विषयः–भूखण्ड संख्या 48, करणी नगर को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से राज्य सरकार के पत्र दिनांक 20.01.10 द्वारा सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में जारी स्वीकृति एवं दिनांक 23.04.10 द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में प्रश्नगत भूखण्ड को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करते हुये योजना मानचित्र में संशोधन किये जाने निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या–9

150 / 01.07.2010 (मास्टर प्लान)

विषयः– सेक्टर 48–49 में प्रस्तावित 60 मीटर सडक का एलाइमेन्ट बाबत्।,

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं रिकॉर्ड के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर वर्ष 2005 में जारी प्रारूप सेक्टर रोड अलाईमेंट को ही न्यायोचित मानते हुए प्रभावी रखा जाने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या–1

150 / 01.07.2010 (जोन–7)

विषयः– जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कृष्णा नगर के भूखण्ड संख्या 38 के बढे हुये क्षेत्र के नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में जोन स्तर पर पूर्ण परीक्षण कर सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

अति. एजेण्डा संख्या–2

150 / 01.07.2010 (जोन–6)

विषयः– शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रघुनाथपुरी के भूखण्ड संख्या 91 से 98 के ब्लॉक के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा नोट के अनुसार समिति को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत ब्लॉक में जोन स्तर पर पूर्व में भूखण्ड संख्या 95, 96, 97 / 98 की मौके स्थिति अनुसार जोन स्तर पर लीजडीड जारी की जा चुकी है एवं भूखण्ड संख्या 91, 92, 93–बी एवं 93–ए मौके पर निर्मित किये जा चुके हैं। जोन द्वारा प्राप्त प्रस्ताव अनुसार समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 95, 96, 97, 98 की मौके स्थिति अनुसार जोन स्तर पर जारी लीजडीड की पुष्टि कर भूखण्ड संख्या 91 से 98 के ब्लॉकों की मौका स्थिति अनुसार योजना मानचित्र में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति. एजेण्डा संख्या–3
150/01.07.2010 (जोन–7)

विषयः– आफिसर्स कैम्पस योजना दुकान संख्या 12 एवं 13 के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर माननीय अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में अपील संख्या 05/09 के निर्णय दिनांक 22.12.09 के संदर्भ में अपीलार्थी को जोन स्तर पर उपायुक्त–7 द्वारा सुना जाकर प्रकरण को तथ्यों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2010/डी– 194
दिनांक :– 9/7/10

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट/बीपीसी),जविप्रा, जयपुर।
8. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।